

फार्म III { विनियम 7 (1) D (d) देखें} Form III { see Regulation 7 (1) D (d)}

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

व्यावसायिक स्वास्थय एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस
LICENCE FOR THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. ओ एच एस सी /एल - 7000051.3 Licence No.OHSC/L-7000051.3

缴

*

*

戀

戀

缴

会

*

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो

By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the

मे. न्युक्लीअर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काकरापार ॲटोमिक पॉवर स्टेशन (केएपीएस) पी. ओ अनुमाला, व्हाया व्यारा, सुरत -394 651 M/s Nuclear Power Corporation of India Ltd, Kakrapar Atomic Power Station (KAPS), P.O. Anumala, Via Vyara, Surat -394 651

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबन्धन पध्दती प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रिजस्टर(रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस नवीकरण है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवांए या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा IS 18001:2007 के अनुरुप व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबन्धन पध्दती के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रद्त/प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Occupational Health & Safety Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Occupational Health & Safety Management Systems in accordance with IS 18001:2007

- 2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनयम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत नवीकरण किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है। The licence is renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations. •
- 3. यह लाइसेंस 30 December 2014 to 29 December 2017 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from **30 December 2014 to 29 December 2017** and may be renewed as prescribed in the Regulations.

सन्दोहजार पेहरके अगस्त मार के चीर्थ दिन हस्ताक्षरित एवं मुहराकित।
Signed, Sealed and dated this 4th dayof August, Two Thousand Afteen

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

*

*

*

*

B

*

%